न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बांसा)

मु.न. 190/2016

उनवान

1. गोपीराम पुत्र श्री लादूराम, जाति हरियाणा, ब्राहम्ण, निवासी फतेहपुरा–बांसा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र भैरू
3. राजेन्द्र पुत्र भैरू
4. सावित्री पुत्री भैरू
5. श्रीमति प्रेम देवी पत्नी नन्दलाल
6. श्रीमति मनफूली देवी पत्नी किशन लाल
7. महेन्द्र पुत्र किशन
8. गजानन्द पुत्र किशन
9. कमलेश पुत्र किशन
10. हंसा देवी पुत्री किशन

समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम फतेहपुरा–बांसा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्थी

निर्णय दिनांक :– 18.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बांसा में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम फतेहपुरा–बांसा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं जो कि काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा हैं।

वादी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम फतेहपुरा, पटवार हल्का फतेहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हैं, जिसके हाल खाता संख्या 200 जिसके हाल खसरा नम्बर 1335/1562 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1337 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1338 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1343 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

भूमि स्थित हैं। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित हैं। प्रतिवादीगण जो कि वादी के सहखातेदार हैं।

पूर्व में वादी का नाम वास्तव में गोपीराम पुत्र लादूराम हैं, किन्तु राजस्व रिकार्ड फतेहपुरा में वादी का नाम भूमि का राजस्व रिकार्ड बनाते समय आवश्यक सावधानी नहीं बरती गई तथा गलत रूप से रिकार्ड बनाये, जिसमें वादी का नाम गोपीराम पुत्र लादूराम के स्थान पर गोपाल पुत्र लादूराम अंकित कर दिया गया। क्योंकि वादी के दादा देवाराम पुत्र सुण्डाराम के नाम से उक्त भूमि की खातेदारी थी, परन्तु वादी के पिता दादा से पहले फौत हो चुके थे, वादी के दादा फौत होने पर वादी के के नाम उक्त खातेदारी भूमि का विरासत नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 13.06.1971 को ग्राम पंचायत फतेहपुरा द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसमें वादी का नाम गोपीराम पुत्र लादूराम के स्थान पर गोपाल पुत्र लादूराम अंकित कर दिया गया। जबकि वादी की अन्य भूमि स्थित वाके ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थिति हाल खाता संख्या 70 स्थिति हैं में वादी का नाम गोपीराम पुत्र लादूराम सही दर्ज चला आ रहा हैं। वादी के समस्त रिकार्ड में वादी का नाम गोपीराम पुत्र लादूराम दर्ज चला आ रहा हैं।

वादी द्वारा अपना नाम सही दर्ज करवाने हेतु पूर्व अनेक मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 से निवदेन किया गया एवं प्रशासन आपके द्वार अभियान में भी दिनांक 17.05.2016 को अपना नाम सही करवाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के नाम को दुरूस्थ किये जाने हेतु पटवारी हल्का को उक्त तथ्यों की जांच करने हेतु आदेशित किया गया था। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेशित किया गया था। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त तथ्यों की जांच करने पर रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 1 के यहां पेश की, जिसमें पटवारी हल्का ने भी यह स्वीकार किया कि गोपाल पुत्र लादूराम व गोपीराम पुत्र लादूराम एक ही व्यक्ति हैं, तथा गोपाल पुत्र लादूराम के स्थान पर गोपीराम पुत्र लादूराम शुद्ध किया जाना न्यायोचित हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 द्वारा भी वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थ करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की हुई हैं एवं ग्राम पंचायत फतेहपुरा द्वारा हाल सरपंच द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया कि वादी का नाम गोपीराम पुत्र लादूराम सही हैं जिसे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थ किया जाना न्यायोचित हैं।

वादी को उक्त त्रुटि का ज्ञान दिनांक 15.04.2016 को पटवारी हल्का से सम्पर्क कर किसान क्रेडिट कार्ड करवाने हेतु जमाबन्दी चाही तो पटवारी हल्का द्वारा सर्वप्रथम वादी को उसका नाम गोपीराम पुत्र लादूराम दर्ज होने बाबत तबया गया, जिस उपरान्त वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 के यहां नाम दुरूस्थी बाबत

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

आवेदन प्रस्तुत किये, किन्तु आज दिन तक नाम दुरूस्थ नहीं किये जाने से वादी को उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ हैं।

वादी को यह हक व अधिकार हांसिल हैं कि वह वाके ग्राम फतेहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात खसरा नम्बरान् 1335/1562, 1336 ता 1338, 1342 ता 1344 कुल किता 7 का कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल पुत्र लादूराम के स्थान पर गोपीराम पुत्र लादूराम दर्ज करवाये एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थी करवाये।

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत इन्द्राज दुरूस्थी का डिक्री किया जाकर वाके ग्राम फतेहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात खसरा नम्बरान 1335/1562, 1336 ता 1338, 1342 ता 1344 कुल किता 7 का कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल पुत्र लादूराम के स्थान पर गोपीराम पुत्र लादूराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थ किया जाकर वर्तमान त्रुटि पूर्ण राजस्व रिकार्ड को दुरूस्थ किया जावें।

वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से राजेन्द्र कुमार, बाबुलाल पु0 भैय, मनफूली पत्नि किशन लाल, महेन्द्र, गजानन्द, कमलेश पि0 किशनलाल जो विवादित भूमि के सहखातेदार है का शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। इसके अनुसार विवादित भूमि की खातेदारी में गोपाल पुत्र लादू दर्ज हो गया हैं। जबकि गोपी पुत्र लादू सही व सत्य हैं। इस संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत फतेहपुरा द्वारा दिनांक 17.05.2016 को यह प्रमाण दिया है कि गोपी पुत्र लादू व गोपल पुत्र लादू एक ही व्यक्ति हैं। वादी की ओर से पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, सैकण्डरी परीक्षा 1965 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिनमें गोपीराम नाम दर्ज हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गोपाल पुत्र लादू व गोपीराम पुत्र लादू एक ही व्यक्ति हैं।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम फतेहपुरा, तहसील चौमूं में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1335/1562, 1336 ता 1338, 1342 ता 1344 कुल किता 7 का कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर मे दर्ज गोपाल पुत्र लादू के स्थान पर गोपीराम पुत्र लादू का नाम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार चौमूं को इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2017 को मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बांसा में न्यायालय मे सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बांसा)

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार योगी (R.A.S)

उनवान

1. गोपीराम पुत्र श्री लादूराम, जाति हरियाणा, ब्राहम्ण, निवासी फतेहपुरा–बांसा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र भैरू
3. राजेन्द्र पुत्र भैरू
4. सावित्री पुत्री भैरू
5. श्रीमति प्रेम देवी पत्नी नन्दलाल
6. श्रीमति मनफूली देवी पत्नी किशन लाल
7. महेन्द्र पुत्र किशन
8. गजानन्द पुत्र किशन
9. कमलेश पुत्र किशन
10. हंसा देवी पुत्री किशन

समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम फतेहपुरा–बांसा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

Scanned by CamScanner

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प बांसा मे आज तारीख

18.05.2017 को जारी किया गया।

मोहर

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	0		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर